अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2021 (RCMS 2021/85) (RTI-212235038917508) **श्री अमित कुमार गोल्याण पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गोल्याण, हनुमान फ्लोर मिल, पुलिस स्टेशन रोड, अनूपगढ** (मो. 97833-60400) **बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अमित कुमार गोल्याण उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2021 से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील के साथ अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2021 की प्रति संलग्न नहीं की है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./8224 दिनांक 30.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासरगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री अमित कुमार गोल्याण द्वारा वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ से संबधित है। **सूचना का अधिकार आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ था जो प्रपत्र में न होने के कारण आवेदक श्री अमित कुमार के मूल आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहत संबधित राज्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित नही किया जा सका। श्रीमान् जी से निवेदन है कि भविष्य में आनलाईन पोर्टल को नियमित रूप से खोला जाकर प्राप्त आरटीआई आवेदनो का नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित किया जावेगा।

फलतः उक्त के क्रम में अपीलार्थी श्री अमित कुमार की अपील स्वीकार की जाकर संबधित राज्य लोक सूचना अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ) को सूचना प्रदत किये जाने बाबत आदेशित करने का श्रम करने की कृपा करावे।

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
अनूपगढ

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के जवाब के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ से है और नगरपालिका, अनूपगढ के विरूद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अ़द्योहस्ताक्षरकर्त्ता को नही है इसलिए अपीलार्थी को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रथम अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परन्तु **उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निश्चित समयावधि में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित नहीं किया है जो और न ही अपीलार्थी को इसके सम्बन्ध में कोई जवाब पेश किया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 एवं 6(3) में निम्न प्रकार से प्रावधान है:**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) अवलोकनीय है :

6(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है–

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उसे अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा :

- **परन्तु यह कि इस उप –धारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

चूंकि सूचना का अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ से है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को इस सूचना के सम्बन्धित विभाग को 5 दिवस के भीतर अंतरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और ऐसा अंतरण 5 दिवस पश्चात नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाओं को उपखड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा ही नगरपालिका के लोक सूचना अधिकारी से मंगवाकर नियमानुसार उपलब्ध करवानी चाहिए। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2021 में अंकित वांछित सूचना यदि देय है तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। इसके साथ साथ **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से भी आवेदक द्वारा उक्त वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ से निर्णय प्राप्ति के सात (7) दिवस भीतर भीतर प्राप्त कर आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध करवायें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:27 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर